24-11-16 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील विपक्षी सं. 1 व 6 उपस्थित नहीं। वकील विपक्षी सं. 6 के कितनी ही मर्तबा विधिवत सम्मन किये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र 4 के हित तथ्यों दस्तावेजों के आधार पर धारा 4 जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को कम वाद के निस्तारण तक फर्फर किये जाने की बाबत मेरे पत्रावली का अवलोकन किया, तथा एक तरफा बहस पर मनन किया गया। न्याय हित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 13-11-09 को विपक्षीगण के विरुद्ध जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को कम वाद के निस्तारण तक फर्फर किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 2 माह की जाकर समक्ष पेश की जाये।

उप खण्ड अधिकारी
माण्डल